FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

जगदीश प्रसाद वगै0 बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 एलआर एक्ट मु0नं0 175 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01-04-2025	प्रार्थीगण जगदीश प्रसाद वगैरह ने हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 एलआर एक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीगण को सुना जाने हेतु मिसल दिनांक 28.04.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
28/04/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब [illegible] कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 05/05/25 को पेश हो।	
05-05-2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण अपनी माताजी की पैतृक संपत्ति पर काबिज हैं तथा उसी अनुरूप नानाजी का देहान्त होने पर प्रार्थीगणों के पिता के स्थान पर नानाजी का नाम अंकित हो गया हैं जिससे प्रार्थीगण को सरकार की पीएम किसान एवं अन्य योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है ना ही किसी भी बैंक से ऋण मिल पा रहा है। अतः वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के नानाजी के नाम के स्थान पर पिता का नाम अंकित करवाने बाबत आदेश प्रदान कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने की कृपा करें। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के नाना के नाम के स्थान पर पिता का नाम अंकित करवाने हेतु प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 में संबंधित पटवारी व गिरदावर ने सहमति जाहिर की हैं जिनके दस्तावेज पत्रावली में संलग्न हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण जगदीशप्रसाद वगैरह का प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 एलआर एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में आदेश इस आशय का जारी किया जाता कि:– Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2025.05.26 12:03:52 IST Reason: SelfAttested **आदेश** तन ग्राम कैरवाली प0ह0 कोटड़ा तहसील नीमकाथाना अवस्थित आराजी ख0 नं0 10, 11, 12, 15, 9, 213 ता 215, 16. 27, 219 ता 221 तथा तन ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 नयाबास अवस्थित ख0नं0 149 में प्रार्थीगण के नाम में अंकित नाना का नाम	

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

तारीख हुक्म	
	के स्थान पर प्रार्थीगण के पिता का नाम दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:03:52 IST
Reason: SelfAttested